झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) विविध–15 –04/14 (खण्ड) रॉंची, दिनांक –

आदेश

श्री निर्मल कुमार तिवारी (आई०डी०–J 4812) सहायक अभियंता की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं०–3546 दिनांक 29.06.13 द्वारा नहर अवर प्रमण्डल गोला (जल पथ प्रमण्डल हजारीबाग) में पदस्थापित किया गया था। श्री तिवारी द्वारा विभागीय स्थानांतरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2714 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2) श्री तिवारी से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री तिवारी के कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1741 दिनांक 13.04.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3) उक्त दण्ड के सापेक्ष श्री तिवारी द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री तिवारी के अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या तर्क नहीं दिया गया है जिसके आधार पर इन्हें संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री तिवारी द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

4) उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

SD/-

सरकार के अवर सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 3034 रॉंची,दिनांक – 08-06-16

प्रतिलिपि – महालेखाकार झारखण्ड, रॉंची/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, रॉंची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग हजारीबाग/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग रॉंची/कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमण्डल हजारीबाग/श्री निर्मल कुमार तिवारी, सहायक अभियंता, नहर अवर प्रमण्डल गोला (जल पथ प्रमण्डल हजारीबाग)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinod 08/06/2016

सरकार के अवर सचिव (नि०)

08.06.16

F:\kanhaiya 2016\J.S. B.M.P.singh\Office Order.docx